फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पी0एन0बी0 शाखा बाड़ी धौलपुर बनाम मैसर्स आर0के0 रेडीमेड गारमेण्ट्स बगैरा

किस्म मुकदमाः—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 56 सन् 2019

RCMS No. 2019/00096

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.19	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी अशोक कुमार पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाड़ी धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ताः— 1. मैसर्स आर0 के0 रेडीमेड गारमेण्ट्स जरिये श्री राकेश कुमार निवासी अलीगढ़ रोड़ गुमठ वाली गली बाड़ी जिला धौलपुर 2. श्री राकेश कुमार निवासी परदेसिया मोहल्ला गुमठ वाली गली बाड़ी जिला धौलपुर, 3. श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नी फुसिंया जाति कोली निवासी परदेसिया मोहल्ला गुमठ वाली गली बाड़ी जिला धौलपुर जमानती के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 13.12.2017 को रूपये 6,41,000/— का सी0सी0 ऋण एवं 7,88,500/— का टी0एल0 ऋण कुल रूपये 14,29,500/— मात्र राशि का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः— 1. मैसर्स आर0 के रेडीमेड गारमेण्ट्स के विभिन्न प्रकार के रॉ मेटेरियल जैसे विनिर्माण सामग्री, कच्चा सामग्री, शुल्क योग्य उत्पाद सामग्री, स्टॉक इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड एवं फिनिश्ड गुड्स। 2. मैसर्स आर0 के रेडीमेड गारमेण्ट्स के बुक डेब्ट, आउटस्टेडिंग डिकीज, मनी रिसीवेबल, गवर्मेन्ट सब्सीडिज, क्लेम, बिल कॉन्ट्रेक्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट इत्यादि। 3. आवासीय मकान वार्ड नं0 3 गुमठ वाली गली बाड़ी जिला धौलपुर राजस्थान में स्थित है जिसका एरिया 569.25 वर्ग फुट है। जो कि श्रीमति मुन्नीदेवी पत्नी फुसिया के नाम से है। जिसके हदूदअरबा निम्न प्रकार हैः— उत्तर दिशा में सड़क, दक्षिण दिशा में प्लॉट खेमा कोली, पूर्व दिशा में श्री भगवन्त का मकान एवं पश्चिम दिशा में रामदीन नाई का मकान है, ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.07.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 22.08.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के	806-808 24.12.19

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 15,76,308.27/- दिनांक 31.07.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी 1. मैसर्स आर0 के रेडीमेड गारमेण्ट्स के विभिन्न प्रकार के रॉ मेटेरियल जैसे विनिर्माण सामग्री, कच्चा सामग्री, शुल्क योग्य उत्पाद सामग्री, स्टॉक इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड एवं फिनिश्ड गुड्स। 2. मैसर्स आर0 के रेडीमेड गारमेण्ट्स के बुक डेब्ट, आउटस्टेडिग डिक्रीज, मनी रिसीवेबल, गवर्मेन्ट सब्सीडिज, क्लेम, बिल कॉन्ट्रेक्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट इत्यादि। 3. आवासीय मकान वार्ड नं0 3 गुमठ वाली गली बाड़ी जिला धौलपुर राजस्थान मे स्थित है जिसका एरिया 569.25 वर्ग फुट है। जो कि श्रीमति मुन्नीदेवी पत्नी फुसिया के नाम से है। जिसके हदूदअरबा निम्न प्रकार है:- उत्तर दिशा में सड़क, दक्षिण दिशा में प्लॉट खेमा कोली, पूर्व दिशा में श्री भगदत्त का मकान एवं पश्चिम दिशा में रामदीन नाई का मकान है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर